

न्यायालय—अवर न्यायाधीश, बलिया, (बेगूसराय)।

स्वत्व वाद सं० – 44 / 2025

दीपक कुमार बनाम कुमकुम देवी

दिनांक	आदेश	
<u>04.06.2026</u>	वादी की ओर से उनके अधिवक्ता के द्वारा हाजिरी दी गई। वाद नामांकन के बिंदु पर सुनवाई हेतु निश्चित था। अभिलेख अवलोकन किया गया जिससे विदित होता है कि प्रस्तुत वाद विगत कई तिथि से नामांकन हेतु लंबित है। प्रस्तुत वाद में वादी को सिरेस्तेदार के रिपोर्ट के अनुसार 18,920/- रुपया न्याय शुल्क के रूप में जमा करना था। वादी को कई बार अवसर दिया गया कि न्याय शुल्क जमा किया जाए लेकिन वादी के द्वारा आज तक न्याय शुल्क जमा नहीं किया गया। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वादी को अब इस वाद में कोई रुचि नहीं रह गया है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों एवं तथ्यों को देखते हुए वादी के वाद को अग्रतर कार्यवाही नहीं करने के कारण खारिज किया जाता है। कार्यालय लिपिक अभिलेख को विधिवत अभिलेखागार में जमा करे। लेखापित Sd/- अवर न्यायाधीश, बलिया बेगूसराय।	

Date of Order/Judgement	04.06.2026
Date of reserving order/ Judgement	NA
Uploading Date	10.06.2026
Uploaded by	Gunjan Kumar (Stenographer)